पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र,उदयपुर
West Zone Cultural Centre,Udaipur

कला विथि आरक्षण हेतु आवेदन–पत्र
Application For Reservation of Art Gallery (Kala Vithi)

1. आवेदक का नाम/संस्था
   Name of Applicant/Organization ....

2. पता/ Address ....
   ....

3. मोबाईल नं/Mobile No. ....

4. ई–मेल/Email Id ....

5. आवेदक की श्रेणी /Category ☐ एकल Solo ☐ समूह Group ☐ सरकारी Government ☐ प्रायोजित Sponsored

6. राशि/Amount
   1. 500/- Per Day for Solo/Group Show(Non Sponsored)
   2. 1500/- Per Day for (Sponsored)

7. आरक्षण तिथि
   Reservation Date — तिथि/Date .... से/To .... दिन/Days ....

8. प्रदर्शनी का विवरण
   Detail of Exhibition — चित्र/फोटो/मूर्ति/ग्राफिक्स/अन्य ....
   Painting/Photo/Sculpture/Graphics/Other

9. आवेदक का बायोडेटा मय 2 कृतियों के छाया चित्र
   Bio Data of Applicant with 2 Photos of his Work ....

10. यदि प्रदर्शनी प्रायोजित है तो प्रायोजक का नाम
    If Exhibition is sponsored , Specify name of sponsor ....

11. डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक संख्या/आईएफएससी नंबर एवं बैंक का नाम
    Demand Draft/Cheque No./ with IFSC No. & Bank Name ....
    ....
    ....

दिनांक/Date :-

आवेदक/कलाकार/संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय संस्था की सील

Signature with Seal of Applicant/Artist/Organization orInstitution Head

पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर

कला विथि आरक्षण की सामान्य शर्तें / दिशा निर्देश

1. कला दीर्घा आवेदन के साथ ही निर्धारित शुल्क नकद, चैक, डी.डी. जो कि निदेशक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर के नाम देय हो जमा करवाना आवश्यक है।

2. कला दीर्घा की दीवारों पर गोंद / टेप चिपकाना, कील आदि लगाना सर्वथा वर्जित है। प्रदर्शनी से संबंधित पोस्टर / बैनर निर्धारित स्थल पर ही लगायें जावें।

3. दीवारें खराब होने की स्थिति में आवंटी से उसका हर्जाना वसूल किया जायेगा।

4. विशेष परिस्थिति में केन्द्र द्वारा दीर्घा आवंटन निरस्त या समय में परिवर्तन किया जा सकता है।

5. प्रदर्शनी से पूर्व केन्द्र में लाई जाने वाली समस्त सामग्री की सूची सुरक्षा कर्मी को जमा करानी होगी एवं उसी सूची की दूसरी प्रति पर प्रदर्शनी के अंतिम दिन अपने निजी सामान यथा पेंटिंग आदि ले जाने हेतु गेट पास कार्यालय समय में ही प्राप्त करना अनिवार्य है। गेट पास न होने की स्थिति में सामान नहीं ले जाने दिया जायेगा।

6. आवंटन किये जाने के पश्चात् आरक्षण निरस्त किये जाने पर संबंधित आवेदक की जमा राशि में से 15 दिन पूर्व तक आरक्षण रद्द करने पर 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी।

7. केन्द्र की संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर क्षतिपूर्ति की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

8. प्रदर्शनी हेतु प्रदर्शनी से सम्बन्धित सभी सामग्री आवेदक / संस्था को स्वयं अपने साथ लानी होगी।

9. प्रदर्शनी करने वाली संस्थान / कलाकार अतिरिक्त समय हेतु कार्यक्रम बढ़ाना चाहता / चाहती है तो इसकी लिखित सूचना कार्यक्रम समाप्ति के पूर्व निर्धारित समय से तीन दिन पहले देनी होगी जिसका निर्णय निदेशक, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

10. केन्द्र परिसर मे धुम्रपान करना निषेध है। आवेदक को प्रदर्शनी का विवरण केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।

11. आवेदक को कार्यक्रम में पधारने वाले विशिष्ठ अतिथिगणों की सूचना यथोचित समय पर केन्द्र को देनी होगी, ताकि प्रोटोकॉल नियमों का पालन किया जा सके।

12. किसी शर्त का उल्लघंन करने पर आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र का कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण निरस्त / आरक्षण तिथी में परिवर्तन केन्द्र स्तर पर किया जा सकेगा।

13. केन्द्र परिसर एवं प्रदर्शन अवधि में प्लास्टिक निर्मित कैरी बैग / थैलियाँ / कप–ग्लास आदि का उपयोग करना वर्जित है। यदि इनका उपयोग किया जाता है तो सरकारी नियमानुसार जुर्माना एवं दण्ड लागू होगें। साथ ही आयोजन निरस्त कर अथवा धरोहर राशि जब्त कर दी जायेगी।

14. कला दीर्घा के आरक्षण के साथ धरोहर (सुरक्षा) राशि 1000 / –(एक हजार) केन्द्र को(नकद / चैक / डी.डी) द्वारा जमा करानी होगी। यह राशि किसी प्रकार की क्षति नहीं होने पर पुनः लौटा दी जायेगी।

आवेदक / संस्था / मैं उपरोक्त नियम व शर्तो का पूर्णतः पालन करूंगा / करूंगी। शर्तो का पालन नहीं करने की स्थिति में मेरा आवंटन निरस्त करने का अधिकार केन्द्र को होगा तथा पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा मेरे विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

आवेदक / कलाकार / संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय
संस्था की सील

कला विथि में प्रदर्शनी लगाने हेतु

वचन बद्धता(UNDERTAKING)

मैं .... की

ओर से दिनांक .... से .... तक पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक

केन्द्र में आयोजित होने वाली प्रदर्शनी .... के सम्बन्ध में

आवेदक /संस्था की ओर से निम्नानुसार वचन बद्धता (UNDERTAKING) प्रस्तुत करता हूँ :–

1. यह कि आरक्षित स्थल पर व्यवस्था व अनुशासन की जिम्मेदारी स्वयं आयोजनकर्ता की होगी।

2. यह कि प्रदर्शनी स्थल पर जाति, लिंग, अश्लीलता, भेद–भाव, धार्मिक भावनाओं एवं संवैधानिक मूल्यों/अधिकारों को आहत या ठेस पहुंचाने वाली कृतियों का प्रदर्शन नहीं किया जायेगा तथा इस विषय में किसी भी विवाद हेतु आवेदक ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. यह कि केन्द्र के प्रदर्शन स्थल पर पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के परिसर में किसी भी प्रकार की क्षति अथवा तोड़–फोड़ की पूर्ण जिम्मेदारी आवेदक की ही रहेगी।

4. यह कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा का उत्तरदायित्व भी आवेदक स्वयं द्वारा निर्वहन किया जायेगा।

5. कला दीर्घाओं में कलाकृतियों के प्रदर्शन से पूर्व कार्यक्रम अधिकारी (दृश्यकला) के द्वारा अवलोकन कर लिए जाने के उपरान्त ही कार्यक्रम अधिकारी की सहमति के अनुसार ही कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जायेगा।

6. पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र का कार्यक्रम होने की स्थिति में आरक्षण निरस्त/आरक्षण तिथी में परिवर्तन केन्द्र स्तर पर किया जा सकेगा।

7. मैं आवेदक/संस्था पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा दर्शाई आरक्षण की शर्तें (1 से 14) व दिशा निर्देशों की पूर्ण करने की मंजुरी देता हूँ।

दिनांक.......................................

आवेदक के हस्ताक्षर
मय नाम, पता, एवं मोबाईल नम्बर